

Doc-6311 Jhajjar

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

यादी क्रमांक 183-व-5-2015/12,200
चण्डीगढ़, दिनांक 23/6/2015

विषय:

Diversion of 0.6212 ha. of forest land in favour of Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for laying of 132 KV underground cable along Jhajjar-Bahadurgarh road from 220/132 KV Nunmajra to DMRC's 132/33/27.5 KV S/stn. MIE Bahadurgarh, under, forest division and Distret Jhajjar, Haryana. (D-III-6311)

संदर्भ:

आपका पत्र क्रमांक प्रशा: डी.आ-6311/1566 दिनांक 12.6.2015.

उपर्युक्त विषय पर आपके प्रस्तावानुसार Dy.CEE/PS-2,DMRC Ltd. Delhi के अनुरोध पर हरियाणा में for laying of 132 KV underground cable along Jhajjar-Bahadurgarh road from 220/132 KV Nunmajra to DMRC's 132/33/27.5 KV S/stn. MIE Bahadurgarh, under forest division and District Jhajjar, Haryana, हेतु वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी ।
2. कोई वृक्ष इस क्षेत्र में नहीं काटा जायेगा ।
3. प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम अनुसार 12,26,460/-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण राशि CAMPA में जमा करवाई जाये तथा प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार G.W.S. Chanel (1.243 ha) प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्राप्त 12,26,460/-रु (Twelve lac twenty six thousand for hundered sixty only) की राशि 1243 पौधे लगा कर किया जायेगा ।
4. प्रयोक्ता एजेंन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
5. for laying of 132 KV underground cable along Jhajjar-Bahadurgarh road from 220/132 KV Nunmajra to DMRC's 132/33/27.5 KV S/stn. MIE Bahadurgarh under forest division and Distret Jhajjar, और वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जायेगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जायेगी ।
6. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
7. प्रयोक्ता एजेंन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
8. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
9. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसाकि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
10. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
11. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
12. राज्य सरकार इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यन्वित सन्तोषप्रद नहीं है ।

विशेष सचिव, 23/6/15
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
वन विभाग ।

प्रतिलिपि:-

1. वनपाल, केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय परिमण्डल, कार्यालय बेंज नं0 24-25, सैक्टर-31 ए चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।